

**THE RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY
(OFFICERS AND MEMBERS EMOLUMENTS AND
PENSION) (AMENDMENT) BILL, 2022**
(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-third Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 2022.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 4-D, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In section 4-D of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Act No. 6 of 1957), after the existing sub-section (1), the following new sub-section shall be added, namely:-

“(2) Every person, who has served as a member of the Rajasthan Legislative Assembly shall be entitled to receive, from out of the amount available in the relevant year under sub-section (1), reimbursement of amount equivalent to actual fare of journey abroad by air, ship or steamer paid by him, either alone or with persons accompanying him after approval of his request for such journey being accorded by the Speaker of the Legislative Assembly. Such journey shall be subject to compliance of guidelines issued and/or rules made relating to permission of such journey abroad, by the Government of India and State Government, from time to time.”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 4-D of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 provides for free travelling facility to Ex-members. Presently, an ex-member is entitled to reimbursement of actual fare of any journey undertaken by him in any class of railway, air, ship or steamer within the territory of India under this section. The State Government has decided to extend this facility of reimbursement of actual fare of any journey to abroad also but subject to approval of such journey being accorded by the Speaker.

Accordingly, a new sub-section (2) is proposed to be added in section 4-D of the said Act to make provision for reimbursement of actual fare of any journey by an Ex-member to abroad subject to its approval by the Speaker.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

Hence the Bill.

शान्ती कुमार धारीवाल,
Minister Incharge.

2022 का विधेयक सं.16**(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)****राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2022****(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)**

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-** (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2022 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. **1957 के राजस्थान अधिनियम सं.6 की धारा 4-घ का संशोधन.-** राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं.6), की धारा 4-घ, की विद्यमान उप-धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित नई उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

“(2) प्रत्येक व्यक्ति, जिसने राजस्थान विधान सभा के सदस्य के रूप में सेवा की है उसके द्वारा विदेश यात्रा के लिए उसके अनुरोध पर विधान सभा अध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात्, या तो अकेले या उसके साथ जाने वाले किन्हीं व्यक्तियों सहित, उसके द्वारा ऐसी यात्रा के लिए संदत्त वायुयान, पोत या स्टीमर के वास्तविक किराये के बराबर रकम का पुनर्भरण, उप-धारा (1) के अधीन सुसंगत वर्ष में उपलब्ध रकम में से प्राप्त करने का हकदार होगा। ऐसी यात्रा भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा ऐसी विदेश यात्रा की अनुज्ञा के संबंध में समय-समय पर जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धांतों और/या बनाये गये नियमों के अनुपालन के अधीन होगी।”।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 की धारा 4-घ भूतपूर्व सदस्यों को निःशुल्क यात्रा सुविधा का उपबंध करती है। वर्तमान में, इस धारा के अधीन प्रत्येक भूतपूर्व सदस्य, उसके द्वारा रेल, वायुयान, पोत या स्टीमर में किसी भी श्रेणी में भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर यात्रा के लिए वास्तविक किराये का पुनर्भरण प्राप्त करने का हकदार है। राज्य सरकार ने यात्रा के वास्तविक किराये की पुनर्भरण की इस सुविधा को विदेश यात्रा तक भी बढ़ाने का विनिश्चय किया है, परन्तु यह ऐसी यात्रा के लिए विधान सभा अध्यक्ष द्वारा किये गये अनुमोदन के अधीन रहेगा।

तदनुसार, विधान सभा अध्यक्ष के अनुमोदन के अधीन भूतपूर्व सदस्य द्वारा की गई किसी विदेश यात्रा के वास्तविक किराये के पुनर्भरण का उपबंध करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4-घ में एक नई उप-धारा (2) जोड़ी जानी प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

**शान्ती कुमार धारीवाल,
प्रभारी मंत्री।**

**THE RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY
(OFFICERS AND MEMBERS EMOLUMENTS AND
PENSION) (AMENDMENT) BILL, 2022**

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

MAHAVEER PRASAD SHARMA,
Secretary.

(Shanti Kumar Dhariwal, **Minister-Incharge**)

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां
और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2022

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

महावीर प्रसाद शर्मा,
सचिव।

(शान्ती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री)